कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी, बलरामपुर

पत्रांकः बे0शि0 / वार्षिकोत्सव–अध्या0अभि0बै0 / 6043-48 / 2023–24 दिनांकः 6 2 2024

कार्यालय आदेश

महानिदेशक, स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय, समग्र शिक्षा, विद्या भवन, निशातगंज, लखनऊ के पत्र संख्या : सामु0सह0 / पी0टी0एम0 / 12682 / 2023–24 लखनऊ दिनांक 16 जनवरी'2024 द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 के अन्तर्गत विभिन्न हकदारियों आदि पर निगरानी की व्यवस्था एवं सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देने तथा बच्चों के नामांकन, उपस्थिति एवं ठहराव में वृद्धि, गृहकार्य एवं छात्र–छात्राओं के अधिगम स्तर में वृद्धि के उद्देश्य से वार्षिकोत्सव एवं अध्यापकों तथा अभिभावकों की नियमित बैठकें आयोजित कर उनके साथ पारस्परिक विचार–विमर्श की आवश्यकता है। उक्त कार्यक्रमों के माध्यम से बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित कार्यक्रमों, योजनाओं एवं लाभकारी प्रयासों को जन समुदाय तक पहुँचाकर एक जन आन्दोलन का वातावरण सृजित करना है तथा निपुण भारत मिशन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए समुदाय एवं अभिभावकों को जागरूक करने के साथ ही निपुण लक्ष्यों हेतु विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के प्रयासों को माता–पिता / अभिभावकों तक पहुँचाना एवं जागरूक करना है। तदक्रम में जनपद के समस्त परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, कम्पोजिट एवं कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में वार्षिकोत्सव एवं अध्यापक तथा अभिभावक बैठक की जानी है। उक्त के क्रम में विकास खण्डवार अधिकारियों की ड्यूटी निम्नवत् है –

क्र0 सं0	विकास खण्ड / नगर क्षेत्र का नाम	नोडल अधिकारी / प्रभारी अधिकारी	समन्वय अधिकारी	बैठक / वार्षिकोत्सव की तिथि
1	बलरामपुर देहात / नगर क्षेत्र	खण्ड विकास अधिकारी, बलरामपुर	खण्ड शिक्षा अधिकारी, बलरामपुर	12 फरवरी'2024
2	हरैया सतघरवा	खण्ड विकास अधिकारी, हरैया सतघरवा	खण्ड शिक्षा अधिकारी, हरैया सतघरवा	12 फरवरी'2024
3	तुलसीपुर	खण्ड विकास अधिकारी, तुलसीपुर	खण्ड शिक्षा अधिकारी, तुलसीपुर	12 फरवरी'2024
4	गैंसड़ी	खण्ड विकास अधिकारी, गैंसड़ी	खण्ड शिक्षा अधिकारी, गैंसड़ी	12 फरवरी'2024
5	पचपेड़वा	खण्ड विकास अधिकारी, पचपेड़वा	खण्ड शिक्षा अधिकारी, पचपेड़वा	13 फरवरी'2024
6	श्रीदत्तगंज	खण्ड विकास अधिकारी, श्रीदत्तगंज	खण्ड शिक्षा अधिकारी, श्रीदत्तगंज	13 फरवरी'2024
7	उतरौला	खण्ड विकास अधिकारी, उतरौला	खण्ड शिक्षा अधिकारी, उतरौला	13 फरवरी'2024
8	रेहरा बाजार	खण्ड विकास अधिकारी, रेहरा बाजार	खण्ड शिक्षा अधिकारी, रेहरा बाजार	13 फरवरी'2024
9	गैण्डास बुजुर्ग	खण्ड विकास अधिकारी, गैण्डास बुजुर्ग	खण्ड शिक्षा अधिकारी, गैण्डास बुजुर्ग	13 फरवरी'2024

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त निर्धारित तिथियों को विकास खण्डवार एवं नगर क्षेत्र के परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, कम्पोजिट एवं कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में वार्षिकोत्सव एवं अध्यापक–अभिभावक की बैठक हेतु खण्ड विकास अधिकारी अपने–अपने विकास क्षेत्र के खण्ड शिक्षा अधिकारियों से विद्यालयों की सूची प्राप्त कर समन्वय स्थापित करते हुए प्रत्येक विद्यालय में अपने कार्मिकों की ड्यूटी लगाते हुए बैठक के दिन सामान्य पर्यवेक्षण करेगें एवं समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारी बैठक के उपरान्त अनुश्रवण आख्या कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक : उक्तवत्।

7/2/2024

(संजीव कुमार मौर्या)
मुख्य विकास अधिकारी,
बलरामपुर

पृ0सं0:बे0शि0 / वार्षिकोत्सव–अध्या0अभि0बै0 / /2023–24 दिनांकित।

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महानिदेशक, स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक, कार्यालय समग्र शिक्षा अभियान, उ0प्र0 लखनऊ।
2. जिलाधिकारी, बलरामपुर।
3. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), देवीपाटन मण्डल, गोण्डा।
4. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, बलरामपुर।
5. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बलरामपुर।
6. समस्त नामित नोडल / प्रभारी अधिकारी एवं समन्वय अधिकारी को अनुपालनार्थ।
7. कार्यालय प्रति।

मुख्य विकास अधिकारी,
बलरामपुर

महानिदेशक, स्कूल शिक्षा
एवं
राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय,
समग्र शिक्षा, विद्या भवन, निशातगंज, लखनऊ –226 007

शिक्षा का अधिकार
सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

NIPUN BHARAT

वेब–साइट: www.basiceducation.up.gov.in, www.upefa.com ई–मेल : upefaspo@gmail.com दूरभाष : 0522-4024440, 0522-2780384

6153

सेवा में,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
समस्त जनपद, उ0प्र0।

पत्रांक: सामु0सह0 / PTM/12682/2023–24 लखनऊ: दिनांक: 16/1/24

विषयः परिषदीय विद्यालयों में वार्षिकोत्सव एवं अभिभावक–अध्यापक की बैठक आयोजित कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 के अन्तर्गत विभिन्न हकदारियों आदि पर निगरानी की व्यवस्था एवं सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देने तथा बच्चों के नामांकन, उपस्थिति एवं ठहराव में वृद्धि, गृह कार्य एवं छात्र–छात्राओं के अधिगम स्तर में वृद्धि के उद्देश्य से वार्षिकोत्सव एवं अध्यापकों एवं अभिभावकों की नियमित बैठकें आयोजित कर उनके साथ पारस्परिक विचार–विमर्श की आवश्यकता है। तत्क्रम में माह जनवरी, 2024 के चतुर्थ सप्ताह में प्रदेश के समस्त परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, कम्पोजिट एवं के0जी0बी0वी0 विद्यालयों में वार्षिकोत्सव एवं अभिभावक–अध्यापक (Parent Teacher Meeting) की बैठक आयोजित की जानी है। उक्त कार्यक्रमों के माध्यम से बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित कार्यक्रमों, योजनाओं एवं लाभकारी प्रयासों को जनसमुदाय तक पहुँचाकर एक जन आन्दोलन का वातावरण सृजित करना है तथा निपुण भारत मिशन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए समुदाय एवं अभिभावकों को जागरूक करने के साथ ही निपुण लक्ष्यों हेतु विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के प्रयासों को माता–पिता / अभिभावकों तक पहुँचाना एवं जागरूक करना है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि माह जनवरी, 2024 के चतुर्थ सप्ताह में वार्षिकोत्सव एवं अभिभावक–अध्यापक बैठक के आयोजन हेतु निम्नवत् कार्यवाही सुनिश्चित की जाए:–

कार्यक्रम की योजना निर्माणः–

- मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में जनपद के समस्त अधिकारियों के साथ बैठक कर वार्षिकोत्सव एवं अभिभावक अध्यापक बैठक की योजना का निर्माण, तिथियों का निर्धारण तथा अनुश्रवण हेतु प्रत्येक विकास खण्ड के लिए पृथक–पृथक नोड़ल अधिकारियों को नामित किया जाए, जो आवंटित विकास खण्ड के समस्त विद्यालयों में वार्षिकोत्सव एवं अभिभावक–अध्यापक बैठक कराने के लिए उत्तरदायी होंगें एवं सामान्य पर्यवेक्षण करेंगें।
- समस्त नोडल अधिकारी द्वारा आवंटित विकास खण्ड के समस्त विद्यालयों के प्रधानाध्यापक के साथ बैठक कर वार्षिकोत्सव एवं अभिभावक अध्यापक बैठक की योजना विकसित कर दिनांकः 18 जनवरी, 2024 तक मुख्य विकास अधिकारी एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध करायेंगें।
- मुख्य विकास अधिकारी द्वारा ब्लॉकवार समस्त विद्यालयों में वार्षिकोत्सव एवं अभिभावक–अध्यापक बैठक के आयोजन हेतु ब्लॉक में उपलब्ध कार्मिकों की टीम गठित कर विद्यालयवार ड्यूटी आवंटित

की जाए।

- विद्यालय हेतु नामित नोडल अधिकारी वार्षिकोत्सव एवं बैठक के दौरान स्वयं उपस्थित रहेंगें तथा कार्यक्रम आयोजन हेतु अपना नेतृत्व प्रदान करेंगे। बैठक के उपरान्त अपनी आख्या 02 कार्यदिवसों के भीतर विकास खण्ड के नोडल अधिकारी को उपलब्ध करायेंगे।
- प्रधानाध्यापक का दायित्व होगा कि विद्यालय में अध्ययनरत प्रत्येक छात्र–छात्रा के माता–पिता/अभिभावक से व्यक्तिगत सम्पर्क एवं अन्य माध्यम से वार्षिकोत्सव एवं बैठक की तिथि के बारे में कार्यक्रम के 02 दिन पूर्व सूचित कर आमंत्रित करेंगे।
- कार्यक्रम हेतु राज्य, जनपद एवं ब्लॉक स्तर पर कार्य कर रही स्वैच्छिक संस्थाओं का सहयोग छात्र–छात्राओं के माता–पिता/अभिभावक को कार्यक्रम में प्रतिभाग हेतु प्रेरित करने में लिया जा सकता है।
- वार्षिकोत्सव एवं अभिभावक–अध्यापक बैठक की पूर्ण कार्यवाही बैठक संबंधी रजिस्टर में अनिवार्य रूप से दर्ज की जाए।
- मुख्य विकास अधिकारी द्वारा पृथक से जनपद स्तरीय अधिकारियों की एक अनुश्रवण टीम गठित की जायेगी, जिसके द्वारा जनपद के समस्त विकास खण्डों के कम से कम 10 प्रतिशत विद्यालयों में आयोजित वार्षिकोत्सव एवं अभिभावक–अध्यापक बैठक का अनुश्रवण सुनिश्चित किया जाए।
- बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा किये जाने वाले अनुश्रवण की मॉनीटेरिंग भी मुख्य विकास अधिकारी द्वारा सुनिश्चित की जाए। विभागीय अनुश्रवण का विस्तृत विवरण बिन्दु–3 पर उल्लिखित है।

उक्त के क्रम में वार्षिकोत्सव के दिन परिषदीय विद्यालयों को स्वच्छ एवं सुसज्जित करते हुए अभिभावकों का स्वागत अध्यापकों एवं एस0एम0सी0 सदस्यों द्वारा किया जाय, जिससे कि उनमें विशिष्टता का भाव उत्पन्न हो सके।

<u>कार्यक्रम का आयोजनः–</u>

- निर्धारित तिथि को विद्यालय में प्रातः 10:00 बजे से 01:00 बजे अपराह्न तक वार्षिकोत्सव एवं अध्यापक–अभिभावक की बैठक (PTM) आयोजित की जाये।
- बैठक में अभिभावकों के बैठने हेतु कुर्सियाँ आदि की व्यवस्था प्रधानाध्यापक द्वारा सुनिश्चित की जाए।
- कार्यक्रम के आयोजन के सम्बन्ध में विद्यालय के सेवित क्षेत्र में मुनादी, उद्घोषणा, व्हाट्सएप के माध्यम से सूचना एवं अध्यापकों तथा एम0एम0सी0 सदस्यों द्वारा व्यक्तिगत सम्पर्क वं अन्तः वैयक्तिक संचार (IPC) कर समस्त अभिभावकों को बैठक में प्रतिभाग हेतु आमंत्रित किया जाए।
- बैठक में विद्यालय के समस्त अध्यापकों की उपस्थिति अनिवार्य रूपय से सुनिश्चित की जाए।
- बैठक में उपस्थित प्रतिभागियों का नाम, पदनाम, कार्यरत स्थल/पता एवं मोबाइल नं0 बैठक पंजिका में अवश्य अंकित किया जाये।
- बैठक में चर्चा के दौरान दो तरफा संचार (Two way communication) अर्थात् अभिभावकों को भी अपना मत रखने का अवसर प्रदान किया जाए।
- वार्षिकोत्सव एवं बैठक के लिए समस्त अभिभावकों, पुरातन छात्रों, प्रतिनिधि पंचायत राज/स्थानीय प्राधिकारी, ऑगनवाड़ी कार्यकत्री, आशा एवं अन्य स्थानीय प्रभावशाली व्यक्तियों आदि को भी आमंत्रित किया जाये।
- वार्षिकोत्सव में खेल–कूद से सम्बन्धित खेल के लिए सामाग्री आदि की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए तथा दोड़ प्रतियोगिता के लिए ट्रैक बनाया जाये।

- कार्यक्रम के दिन प्रस्तुतीकरण, पुरूस्कार वितरण तथा अतिथियों और अभिभावकों के बैठने के लिए समुचित व्यवस्था की जाये।
- वार्षिकोत्सव एवं बैठक का उद्घाटन जनप्रतिनिधियों से दीप जलाकर अथवा पौधे लगाकर किया जाये।
- वार्षिकोत्सव एवं एवं बैठक के दिन सांस्कृतिक एवं अन्य गतिविधियों यथा–संगीत, चित्रकला, कविता, कहानी, सृजनात्मक लेखन, एवं खेल–कूद आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाये तथा प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया जाये।

समस्त विद्यालयों में वार्षिकोत्सव में निम्नलिखित गतिविधियों का आयोजन सुनिश्चित किया जाए :–

कार्यक्रम	गतिविधियाँ
खेल–कूद	▪ कक्षा–3–5 के बच्चों के लिए 50 तथा 100 मीटर की दौड़। ▪ कक्षा– 5–8 के बच्चों के लिए 100 तथा 200 मीटर की दौड़। ▪ समस्त बच्चों की 4X100 मीटर की रिले रेस। ▪ यदि सम्भव हो तो अभिभावकों की भी रिले रेस अथवा दौड़ एवं अन्य खेलकूद की प्रतियोगिताओं का आयोजन
सांस्कृतिक कार्यक्रम	▪ छात्र–छात्राओं के साथ अभिभावकों को भी शिक्षा का महत्व, बच्चों की उपस्थिति, गृह आधरित शिक्षा तथा निरन्तर पढ़ाई जारी रखने सम्बन्धी विषय पर भाषण आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन। ▪ छात्र–छात्राओं के रचनात्मक कौशल की वृद्धि के लिए गतिविधियाँ जैसे–रंगोली एवं पोस्टर प्रतियोगिता भी करायी जाए। ▪ सांस्कृतिक विषयों पर आधारित नाटक/कहानी लेखन आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन
पुरस्कार एवं सम्मान	▪ उक्त समस्त प्रतियोगिताओं में प्रदर्शन करने वालों में छात्र–छात्राओं तथा अभिभावकों को पुरस्कृत/सम्मानित किया जाए। ▪ निपुण विद्यालय आंकलन के परीक्षा परिणाम के अनुसार निपुण बच्चों और उनके अभिभावकों को मंच पर सम्मानित किया जाए। ▪ विद्यालय के पुरातन छात्रों की विद्यालय में भागीदारी सुनिश्चित करने तथा बच्चों को अभिप्रेरित के उद्देश्य से पुरातन छात्रों का उद्बोधन।
कार्यक्रम सम्बन्धी फोटो/वीडियो क्लिप	▪ समस्त छात्रों, शिक्षकों, माता–पिता/ अभिभावकों तथा अन्य अतिथियों की ग्रुप फोटोग्राफ अवश्य ली जाए। ▪ इसके साथ ही समस्त प्रतियोगिताओं, पुरस्कार–सम्मान समारोह तथा अन्य गतिविधियों की भी फोटो एवं छोटे–छोटे वीडियो क्लिप भी बनवाए जायें।

उक्त वार्षिकोत्सव एवं अभिभावक–अध्यापक बैठक में जनप्रतिनिधियों व अन्य प्रभावशालियों को अतिथियों के रूप में अवश्य आमंत्रित किया जाए, जिससे समुदाय एवं अभिभावकों (community & parental engagement) की भागीदारी विद्यालयों में सुनिश्चित की जा सके।

<u>अभिभावक–अध्यापक बैठक में चर्चा–परिचर्चा के बिन्दुः–</u>

बच्चों के नामांकन, उपस्थिति एवं ठहराव के संबंध में–

- विद्यालय से सेवित क्षेत्र के सभी बच्चों को चिन्हित कर, उनका विद्यालय में नामांकन, नियमित उपस्थिति एवं ठहराव में वृद्धि हेतु अभिभावकों को अभिप्रेरित किया जाए तथा उदासीन अभिभावकों को

अभिप्रेरित करने हेतु सक्रिय अभिभावकों का सहयोग लिया जाए।

- शिक्षा के महत्व व उपयोगिता पर चर्चा कर माता/पिता/अभिभावकों को बच्चों को प्रतिदिन विद्यालय भेजने के लिये प्रेरित करना।
- समुदाय एवं अभिभावकों को विद्यालय के कार्यक्रमों से जोड़ना तथा उनको गतिविधियों में सम्मिलित करने हेतु प्रेरित करना।
- प्रत्येक बच्चे के अभिभावक के साथ उनके बच्चे के अधिगम स्तर की चर्चा की जाए और घर पर बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान देने हेतु अभिभावकों को प्रेरित और प्रशिक्षित किया जाए।
- बैठक से पूर्व प्रधानाध्यापक द्वारा लगातार अनुपस्थित या अपेक्षाकृत अधिक अनुपस्थिति वाले बच्चों की सूची तैयार की जायेगी तथा ऐसे बच्चों के माता/पिता/अभिभावकों की पी0टी0एम0 में उपस्थिति अवश्य सुनिश्चित की जाए। बैठक में ऐसे अभिभावकों से चर्चा कर बच्चों के विद्यालय न आने का कारण जानने का प्रयास कर, बच्चों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित कराने का प्रयास किया जाए।

➢ **डी0बी0टी0 के सम्बन्ध में–**

छात्र–छात्राओं को यूनीफार्म क्रय हेतु रू0 300/–की दर से दो जोड़ी यूनीफार्म हेतु रू0 600 मात्र, स्वेटर क्रय हेतु रू0 200/–मात्र, जूता–मोजा क्रय हेतु रू0 125/– मात्र, स्कूल बैग क्रय हेतु रू0 175/– मात्र तथा 4 कॉपी, 2 पेन, 2 पेन्सिल, 2 कटर, एवं 2 इरेज़र आदि स्टेशनरी क्रय हेतु रू0 100/– मात्र अर्थात् कुल रू0 1200/– मात्र की धनराशि डी0बी0टी0 के माध्यम से अभिभावकों के आधार सीडेड बैंक खातों में उपलब्ध करायी जा रही है। तत्क्रम में छात्र–छात्राओं एवं उनके माता/पिता/अभिभावकों को आधार बनवाने, बैंक खाते को आधार से सीड करवाने एवं डी0बी0टी0 के माध्यम से प्राप्त धनराशि का उपभोग यूनीफार्म, स्वेटर, जूता–मोजा, स्कूल बैग एवं स्टेशनरी के क्रय के लिए ही किये जाने हेतु प्रेरित किया जाए।

➢ **निपुण भारत पर चर्चा–**

- अभिभावकों को प्रेरित किया जाये कि वे बच्चों के साथ समय बितायें, बच्चों के शैक्षणिक कार्य पूर्ण कराएँ एवं बच्चों को लिखकर अभ्यास करने हेतु प्रोत्साहित करें तथा निपुण लक्ष्य/सूची के अनुसार अधिगम स्तर को प्राप्त करने के लिए बच्चों को यथा सम्भव सहयोग प्रदान करें।
- शिक्षकों द्वारा अभिभावकों को दीक्षा एप्प डाउनलोड करने के लिए प्रेरित किया जाए और पाठ्यपुस्तकों में उपलब्ध क्यू0आर0 कोड को स्कैन करते हुए सामग्री का उपयोग बच्चों के शिक्षण कार्य हेतु किए जाने के लिए अभिभावकों को प्रेरित किया जाए।
- शिक्षकों द्वारा अभिभावकों को व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा जाए एवं उन्हें विद्यालय द्वारा उपलब्ध करायी जा रही क्विज़/शैक्षणिक सामग्री से बच्चों को अध्ययन हेतु प्रेरित किया जाए।
- निपुण लक्ष्य की प्राप्ति हेतु विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गयी संदर्शिकायें/प्रिंट रिच सामग्री, तालिका, सूची, गणित किट इत्यादि के बारे में समुदाय/अभिभावकों को प्रदर्शित करते हुए विस्तारपूर्वक चर्चा की जाए तथा लक्ष्य की प्राप्ति हेतु अभिभावकों को अपेक्षित सहयोग हेतु प्रेरित किया जाए।

➢ **ऑपरेशन कायाकल्प के अन्तर्गत मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं की जानकारी एवं चर्चाः–**

- विद्यालयों को 19 मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं यथा–शुद्ध एवं स्वच्छ पेयजल, बालक–बालिकाओं हेतु पृथक–पृथक शौचालय, हैण्ड वाशिंग यूनिट, विद्युतीकरण एवं उपकरण, CWSN शौचालय एवं रैम्प व रेलिंग, फर्नीचर, स्मार्ट क्लास इत्यादि का बाल मैत्रिक अभिगम्यता के अनुसार निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जिससे छात्र–छात्राओं का विद्यालय के प्रति रूचि विकसित हो सके।
- अभिभावकों से चर्चा की जाए कि क्या विद्यालय में निर्मित अवस्थापना सुविधाओं से आपके बच्चे संतुष्ट

हैं? यदि नहीं तो किन–किन सुविधाओं का विकास कराया जाना अपेक्षित है।

- विद्यालय की साफ–सफाई पर विस्तार पूर्वक चर्चा।
- विद्यालय में स्वच्छता सामाग्री यथा–हाथ धोने के लिए साबुन, शौचालय क्लीनर, फिनायल, झाड़ू, डस्टबिन इत्यादि की उपलब्धता पर विस्तार पूर्वक चर्चा।

➢ **आउट ऑफ स्कूल बच्चों हेतु शारदा कार्यक्रम–**

- शारदा कार्यक्रम के अन्तर्गत विद्यालय के सेवित क्षेत्र में समस्त 06–14 आयु वर्ग के आउट ऑफ स्कूल बच्चों का चिन्ह्यांकन, नामांकन, उपस्थिति एवं ठहराव सुनिश्चित किया जा रहा है। अभिभावकों को इस कार्यक्रम के विभिन्न पहलुओं के सम्बन्ध में विस्तार से अवगत कराया जाए।

➢ **दिव्यांग बच्चों हेतु 'समर्थ' कार्यक्रम–**

- दिव्यांग बच्चों के चिन्हांकन, नामांकन एवं उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा प्रदान कर शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के उद्देश्य से दी जाने वाली सुविधाओं यथा–दिव्यांग बालिकाओं हेतु स्टाईपेण्ड, गम्भीर दिव्यांग बच्चों हेतु एस्कार्ट एलाउंस तथा दिव्यांग बच्चों हेतु आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराये जाने तथा संचालित 'समर्थ' कार्यक्रम की विभिन्न गतिविधियों एवं घटकों की जानकारी अभिभावकों के साथ साझा की जाए।

➢ **विद्यालय प्रबन्ध समिति पर चर्चा–**

- विद्यालय प्रबन्ध समिति के स्वरूप, गठन एवं कर्तव्य व दायित्वों पर अभिभावकों के साथ चर्चा।
- विद्यालय प्रबन्ध समिति की प्रत्येक माह के प्रथम बुधवार को होने वाली बैठक की जानकारी प्रदान करना।
- विद्यालय प्रबन्ध समिति के सदस्यों का अभिभावकों के साथ अन्तःवैयक्तिक सम्बन्ध के विस्तार पर चर्चा कर विद्यालय विकास योजना में अभिभावकों का सहयोग प्राप्त करना।
- अभिभावक, अध्यापक एवं एस0एम0सी0 के सदस्यों के सहयोग से समस्त बच्चों का विद्यालय में नामांकन, उपस्थिति एवं ठहराव सुनिश्चित कराना।

3. अनुश्रवणः–

- मुख्य विकास अधिकारी के नेतृत्व विकसित योजनानुसार पी0टी0एम0 का अनुश्रवण गठित टीम द्वारा किया जाएगा, इसके अतिरिक्त विभागीय बैठकों के अनुश्रवण हेतु निर्देश निम्नवत हैं:–
- प्रत्येक ए0आर0पी0 द्वारा कम से कम 3 न्याय पंचायत के कुल 10 विद्यालयों में बैठकों का अनुश्रवण कर आख्या खण्ड शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी।
- प्रत्येक एस.आर.जी. द्वारा कम से कम 3 ब्लॉक के कुल 10 विद्यालयों में बैठकों का अनुश्रवण कर आख्या जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी।
- खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा ब्लॉक के कुल 5 विद्यालयों में बैठकों का अनुश्रवण कर आख्या जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी।
- प्रत्येक जिला समन्वयक द्वारा कम से कम 3 ब्लॉक के कुल 06 विद्यालयों में बैठकों का अनुश्रवण कर आख्या जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी।
- जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा कम से कम 4 ब्लॉक के कुल 4 विद्यालयों में बैठकों का अनुश्रवण कर आख्या राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा कार्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी।
- प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा कम से कम 2 ब्लॉक के कुल 4 विद्यालयों में बैठकों का अनुश्रवण कर आख्या राज्य परियोजना निदेशक, कार्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी।

- सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) द्वारा कम से कम 2 जनपदों के कुल 4 विद्यालयों में बैठकों का अनुश्रवण कर आख्या राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा को उपलब्ध करायी जायेगी।
- अनुश्रवण की योजना इस प्रकार तैयार की जाए कि एक ही विद्यालय का अनुश्रवण दो या अधिक व्यक्तियों द्वारा न किया जाए।
- जिला समन्वयक, सामुदायिक सहभागिता द्वारा ए0आर0पी0, एस0आर0जी0, खण्ड शिक्षा अधिकारी, की आख्या संकलित करते हुये जनपद की संकलित आख्या राज्य परियोजना कार्यालय, समग्र शिक्षा लखनऊ के ई–मेल upefaspo@gmail.com एवं cmssaup1@gmail.com पर उपलब्ध करायी जायेगी। बैठकों के फोटोग्राफ्स प्रेरणा पोर्टल के एस0एम0सी0 मॉडयूल पर अपलोड करना सुनिश्चित किया जाए।

4. वित्तीय निर्देशः–

i. बैठक के आयोजन हेतु कुर्सियां, दरी, आदि, विद्यालय की साज–सज्जा तथा समस्त अभिभावकों के जलपान, चाय आदि की व्यवस्था हेतु प्रति विद्यालय रु0 800/– (रू0 आठ सौ मात्र) की दर से राज्य परियोजना कार्यालय के **Community Moblization** मद से व्यय की सीमा निर्धारित की गयी है।

ii. वार्षिकोत्सव एवं पी0टी0एम0 बैठक हेतु प्रदेश के समस्त कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों को राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा रु0 800/– (रू0 आठ सौ मात्र) की दर से **Community Moblization** मद से व्यय की सीमा निर्धारित की गयी है।

iii. **बैठक के आयोजन हेतु निर्धारित धनराशि प्रति विद्यालय रू0 800/– (रूपया आठ सौ मात्र) की दर से शीघ्र ही प्रेषित की जाएगी।** अतः निर्धारित समयान्तर्गत उपर्युक्त आयोजन सुनिश्चित करते हुए विकास खण्ड वार विद्यालयों की संख्या निम्न प्रारूप पर राज्य परियोजना कार्यालय को **दिनांकः 20 जनवरी, 2024** तक सूचना उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

क्रम सं0	विकास खण्ड	विद्यालयों की संख्या	पी0टी0एम0 आयोजन की तिथि
1	2	3	4

जिला समन्वयक **(सामु0सह0/प्रभारी)**

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी **जनपद का नाम**

iv. निर्धारित व्यय सीमा का उपभोग समग्र शिक्षा के मैनुअल ऑन फाइनेंशियल मैनेजमेंट एण्ड प्रोक्योरमेंट मैन्युअल **2018** के प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा।

उपर्युक्त निर्देश का शत–प्रतिशत अनुपालन कराते हुए माह जनवरी, 2024 के चतुर्थ सप्ताह में विद्यालय स्तर पर वार्षिकोत्सव एवं अभिभावक–अध्यापक की बैठक का आयोजन सम्पादित कराना सुनिश्चित करें।

भवदीया,

Kanchan

(कंचन वर्मा)
राज्य परियोजना निदेशक

पत्रांक सामु0सह0/PTM/ /2023–24 लखनऊ तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

2. शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ0प्र0, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष, जिला शिक्षा परियोजना समिति, समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।
4. मुख्य विकास अधिकारी, समस्त जनपद, उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि अपना नेतृत्व प्रदान करते हुए उक्त कार्यक्रम को अपने जनपद में सफलता पूर्वक सम्पन्न कराएं।
5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, समस्त जनपद, उ0प्र0।
6. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), समस्त मण्डल उ0प्र0।
7. शिक्षा विशेषज्ञ/एस0बी0सी0 अधिकारी, यूनीसेफ, उ0प्र0, लखनऊ।
8. समस्त जिला समन्वयक, समग्र शिक्षा, समस्त जनपद, उ0प्र0।
9. खण्ड शिक्षा अधिकारी, समस्त विकास खण्ड, उ0प्र0।

(कंचन वर्मा)
राज्य परियोजना निदेशक

महानिदेशक, स्कूल शिक्षा
एवं
राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय,
समग्र शिक्षा, विद्या भवन, निशातगंज, लखनऊ –226 007

शिक्षा का अधिक...
सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

NIPUN BHARAT

वेब–साइटः www.basiceducation.up.gov.in, www.upefa.com ई–मेल : upefaspo@gmail.com दूरभाष : 0522-4024440, 0522-2780384

सेवा में,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
समस्त जनपद, उ0प्र0।

पत्रांकः सामु0सह0 / PTM/ / 2023–24 लखनऊः दिनांकः 16/1/24

विषयः परिषदीय विद्यालयों में वार्षिकोत्सव एवं अभिभावक–अध्यापक की बैठक आयोजित कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 के अन्तर्गत विभिन्न हकदारियों आदि पर निगरानी की व्यवस्था एवं सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देने तथा बच्चों के नामांकन, उपस्थिति एवं ठहराव में वृद्धि, गृह कार्य एवं छात्र–छात्राओं के अधिगम स्तर में वृद्धि के उद्देश्य से वार्षिकोत्सव एवं अध्यापकों एवं अभिभावकों की नियमित बैठकें आयोजित कर उनके साथ पारस्परिक विचार–विमर्श की आवश्यकता है। तत्क्रम में माह जनवरी, 2024 के चतुर्थ सप्ताह में प्रदेश के समस्त परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, कम्पोजिट एवं के0जी0बी0वी0 विद्यालयों में वार्षिकोत्सव एवं अभिभावक–अध्यापक (Parent Teacher Meeting) की बैठक आयोजित की जानी है। उक्त कार्यक्रमों के माध्यम से बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित कार्यक्रमों, योजनाओं एवं लाभकारी प्रयासों को जनसमुदाय तक पहुँचाकर एक जन आन्दोलन का वातावरण सृजित करना है तथा निपुण भारत मिशन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए समुदाय एवं अभिभावकों को जागरूक करने के साथ ही निपुण लक्ष्यों हेतु विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के प्रयासों को माता–पिता / अभिभावकों तक पहुँचाना एवं जागरूक करना है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि माह जनवरी, 2024 के चतुर्थ सप्ताह में वार्षिकोत्सव एवं अभिभावक–अध्यापक बैठक के आयोजन हेतु निम्नवत् कार्यवाही सुनिश्चित की जाए:–

कार्यक्रम की योजना निर्माणः–

- मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में जनपद के समस्त अधिकारियों के साथ बैठक कर वार्षिकोत्सव एवं अभिभावक अध्यापक बैठक की योजना का निर्माण, तिथियों का निर्धारण तथा अनुश्रवण हेतु प्रत्येक विकास खण्ड के लिए पृथक–पृथक नोडल अधिकारियों को नामित किया जाए, जो आवंटित विकास खण्ड के समस्त विद्यालयों में वार्षिकोत्सव एवं अभिभावक–अध्यापक बैठक कराने के लिए उत्तरदायी होंगें एवं सामान्य पर्यवेक्षण करेंगें।
- समस्त नोडल अधिकारी द्वारा आवंटित विकास खण्ड के समस्त विद्यालयों के प्रधानाध्यापक के साथ बैठक कर वार्षिकोत्सव एवं अभिभावक अध्यापक बैठक की योजना विकसित कर दिनांकः 18 जनवरी, 2024 तक मुख्य विकास अधिकारी एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध करायेंगें।
- मुख्य विकास अधिकारी द्वारा ब्लॉकवार समस्त विद्यालयों में वार्षिकोत्सव एवं अभिभावक–अध्यापक बैठक के आयोजन हेतु ब्लॉक में उपलब्ध कार्मिकों की टीम गठित कर विद्यालयवार ड्यूटी आवंटित